



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)  
Email: rslsajp@gmail.com, ri-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:- 12891

दिनांक:- 7/6/22

## ::संशोधित सूचना::

इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 19.05.2022 के तहत जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालय, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे और उसकी अंतिम दिनांक 04.06.2022 निर्धारित की गई थी।

प्राप्त आवेदनों के अवलोकन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश तालुका विधिक सेवा समितियों पर अधिवक्ताओं के पैनल गठन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही अधिकांश जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में महिलाओं/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./दिव्यांग वर्गों के आवेदन भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुए हैं।

सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में पैनल अधिवक्तागण का चयन किए जाते समय सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो पाये तथा निर्धारित संख्या में बेहतर विकल्प के साथ पैनल अधिवक्तागण का चयन हो सके, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए निर्देशानुसार, विज्ञापित दिनांक 19.05.2022 के बिन्दु संख्या 05 में शिथिलता देते हुए निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है-

आवेदक द्वारा पांच प्रकरणों के निर्णय/अंतिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो,

परन्तु:

1. 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में राजीनामे से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों के निर्णय/आदेश/अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
2. 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
3. यदि किसी अंतिम निर्णय/आदेश में आवेदक के स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, उस स्थिति में यदि उस पत्रावली के वकालतनामों पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है कि बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था, तो उस अंतिम निर्णय/आदेश को भी 05 की संख्या गणना में समाहित माना जायेगा।
4. यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उनके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा वे एक से अधिक प्राधिकरण/समिति के समक्ष आवेदन कर रहे हैं व ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा अन्य प्राधिकरण/समिति के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो उन्हें

“Help The Needy – Timely Help May Create History”


ऐसे निर्णय/अंतिम आदेश की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनुमति दी जा सकेगी।

5. यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वे स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की शर्त पर, चयन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त, सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई जा सकेगी।
6. शेष अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.06.2022 को उपरोक्त संशोधनों के साथ दिनांक 24.06.2022 की रात्रि 11.59 बजे तक, पूर्व प्रक्रिया के तहत बढ़ाया जाता है। इच्छुक आवेदकों को पूर्ववर्ती ऑनलाईन लिंक, जिसकी जानकारी रालसा की वेबसाइट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से प्राप्त की जा सकती है, पर दिनांक 24.06.2022 की रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा।

इसके पश्चात् ऑनलाईन फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसकी समान हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में दिनांक 29.06.2022 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से



(दिनेश कुमार गुप्ता)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण


जयपुर

दिनांक: 7/6/2022

क्रमांक: 12898-132021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-समस्त न्यायालय/अधिकरण/मंच, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. निदेशक/संयुक्त सचिव, जोधपुर एवं जयपुर/विशेष सचिव/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर/समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय/समस्त न्यायालय/तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/मंच।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
12. वेबसाइट, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/रालसा/जिला न्यायालय, समस्त राजस्थान।

  
उप सचिव-प्रथम  
7/6/2022

“Help The Needy – Timely Help May Create History”